191

संख्या 1687/उन्तीस(2)/11-2(31पे0)/2011

प्रेषक,

जी0बी0 ओली,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य महाप्रबन्धक,
उत्तराखण्ड जल संस्थान,
देहरादून।

पेयजल अनुभाग–2 **देहरादून : दिनांक 14 दिसम्बर, 2011**

विषय :– पिथौरागढ़ पेयजल योजना के विद्युत सुदृढ़ीकरण हेतु ट्रांसफार्मर बदलने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 4048/अप्रै–03/प्राक्कलन(कुमायूँ)/2011–12 दिनांक 27.09.2011 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद पिथौरागढ़ पेयजल योजना के विद्युत सुदृढ़ीकरण हेतु ट्रांसफार्मर बदलने के लिए प्रस्तुत प्राक्कलन ₹ 99.78 लाख पर टी0ए0सी0 वित्त विभाग द्वारा औचित्यपूर्ण पायी गयी धनराशि ₹ 91.67 लाख उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के अन्तर्गत ट्रासफार्मर /उपकरण क्रय करने तथा ₹ 6.60 लाख तत्सम्बन्धी निर्माण कार्यो पर व्यय करने अर्थात् कुल ₹ 98.27 लाख (₹ अठानवे लाख सताईस हजार मात्र) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2011–12 में व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2– स्वीकृत धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार किश्तों में मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून के हस्ताक्षर तथा जिलाधिकारी, देहरादून के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त बिल देहरादून कोषागार में प्रस्तुत करके किया जायेगा।

3– उक्त योजना हेतु ट्रासफार्मर बदलने के लिए उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के प्राविधानो के अन्तर्गत अनुमोदित धनराशि के सीमान्तर्गत ही ट्रासफार्मर/उपकरण क्रय किये जाय तथा आवश्यक निर्माण कार्य सम्पादित करावाये जाय।

4– स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.2012 तक पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र शासन को प्रस्तुत किया जाय।

5– कार्य कराने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शिडयूल आफ रेटस में स्वीकृत नही है, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता से अनुमोदन करना आवश्यक होगा।

6– कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।

7– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृति धनराशि से अधिक का व्यय कदापि न किया जाय।

8– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को कराना सुनिश्चित करें।

.........................2

9– उक्त योजना के कार्य उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 मे लिये गये निर्णयानुसार तथा इसके विषय में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों का अनुपालन के अन्तर्गत कराया जाय।

10– निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री को ही प्रयोग में लायी जाए।

11– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2047/XIV-219(2006) दिनांक 30.05.2006 एवं निर्माण एजेन्सी के विषय में समय–समय पर शासन द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य करते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

12– उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 में अनुदान संख्या–13 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2215–जलपूर्ति तथा सफाई–01–जलपूर्ति–आयोजनागत–101–शहरी जलपूर्ति कार्यक्रम–05–नगरीय पेयजल–06–पम्पिंग योजनाओं के रखरखाव हेतु अनुदान (2215–01–101–05–01 से रख–रखाव हेतु)–20–सहायक अनुदान/अंशदान राजसहायता" के नामे डाला जायेगा।

13– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 617/XXVII (2)/2011 दिनांक 13 दिसम्बर, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें है।

भवदीय,

(जी0बी0 ओली),
संयुक्त सचिव

पृ0सं0- 1687 (1)/उन्तीस(2)/11–2(81पे0)/2011 तददिनांकित

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. मण्डलायुक्त कुमायूँ, नैनीताल।
3. जिलाधिकारी, देहरादून।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
5. प्रभारी प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
6. वित्त अनुभाग–2/वित्त (बजट सैल)/राज्य योजना आयोग उत्तराखण्ड।
7. बजट अधिकारी (बजट निदेशालय), उत्तराखण्ड।
8. निजी सचिव, मा0 पेयजल मंत्री को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
9. स्टाफ ऑफिसर–मुख्य सचिव, को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
10. प्रभारी अधिकारी, मीडिया सैन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, देहरादून।
12. निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जी0बी0 ओली)
संयुक्त सचिव